GDL LEASING AND FINANCE LIMITED

R.O.: B-3/91, Ashok Vihar, Phase II, New Delhi 110052
Tel.No. 011-27435354, Email Id: deepak.gangwani@yahoo.co.in
Website: www.gdl-finance.com CIN: L74899DL1994PLC057107

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held on **Saturday, the 30th September, 2023 at 09.00 A.M. at Khasra No. 16/4, Palla Gaon, Delhi 110036** to transact the businesses mentioned in the Notice of said AGM, which has been dispatched through electronic mode to the Members on 04th September, 2023, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2023.

Further, Pursuant to section 91 of the companies act, 2013 the register of members and transfer book will remain closed from Saturday, 23rd September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (Both days inclusive) for the purpose of 30th AGM.

In pursuance of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation of the SEBI (LODR), Regulation 2015, the Company is providing e-voting facility to its Members as provided by CDSL on all resolution as set out in the Notice of 30th AGM. Members of the company may transact the business through voting by electronic means.

1. The remote e-voting facility commence at 09.00 a.m. on Wednesday, 27th September, 2023 and will end at 5.00 p.m. on Friday, 29th September, 2023 for all shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be displayed by CDSL for Voting. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
2. The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic Voting is Friday, 22nd September, 2023.
3. A person, who acquires shares and become shareholders of the company after dispatch of Notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining login-id and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com / admin@skylinerta.com by mentioning their folio no./DP ID and Client ID No. However if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user id and password can be used for remote e-voting.
4. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting.
5. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not allowed vote again at the meeting.
6. Notice of 30th AGM is available on company website www.gdl-finance.com and on the website of CDSL - www.evotingindia.com
7. A person, whose name recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 22nd September, 2023 shall be entitled to vote.
8. In case you have any queries or issues regarding e-voting, kindly refer frequently asked questions & e voting manual available at www.evotingindia.com under Help section or Email helpdesk.evoting@cdslindia.com, Toll Free No. 1800-200-5633 or Deepak Kumar Gangwani, Whole Time Director of the Company at deepak.gangwani@yahoo.co.in/ 011-27435354

For GDL Leasing and Finance Limited
Sd/-
Deepak Kumar Gangwani
Whole Time Director / Chairman

Date: 05.09.2023
Place: New Delhi

एपैक्स कैपिटल एवं फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L65910DL1985PLC021241
पंजीकृत कार्यालयः एल–3, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110016
फ़ोनः +91–114034 8775, **फैक्सः** +91–11–40348775
ई–मेलः contact@apexfinancials.in, **वेबसाइटः** www.apexfinancials.in

38 वीं साधारण वार्षिक बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि एपेक्स कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 38 वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), 28 सितंबर, 2023 को दोपहर, 3.00 बजे, एल –3, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली –110016 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") से कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 जिसको की कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए परिपत्र) और सेबी (सेबी परिपत्र) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार की जाएगी, जिसमें एक सामान्य स्थान पर सदस्य की भौतिक उपस्थिति नहीं होती है।

कंपनी को अपने सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने तथा इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से एजीएम में वोट देने के अपने अधिकार की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है और एजीएम से पहले और उसके दौरान व्यवसाय को दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से लेनदेन किया जाएगा। 22 सितंबर, 2023 तक शेयर रखने वाले सदस्य तथा जिन सदस्यों को कंपनी के साथ अपने ईमेल पते की उपलब्धता नहीं होने के कारण वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त नहीं हो पाए, वे उपरोक्त समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मतदान के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 लिंक के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉज़िटरी के साथ पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से ई–संचार प्राप्त करने के लिए उन्हें कंपनी के साथ पंजीकृत करें।

ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से नाम, फोलियो नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, शेयर प्रमाण पत्र (दोनों पक्षों) की स्कैन की गई प्रतियां, स्व–सत्यापित पैन और आधार कार्ड को ईमेल के माध्यम से contact@apexfinancials.in पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से नाम, डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट आईडी और क्लाइंट आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सेल्फ अटेस्टेड क्लाइंट मास्टर की स्कैन की गई कॉपी या कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट को ईमेल के माध्यम से contact@apexfinancials.in पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है ।

नोटिस में यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन हेतु, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स 23 सितंबर, 2023 से 28 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ–साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियमन 44 के प्रावधानों का पालन करते हुए, कंपनी अपने सदस्यों को कंपनी की 38वीं एजीएम में प्रस्तावों को पारित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने के लिए दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें :

क. दूरस्थ ई–वोटिंग सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।

ख. दूरस्थ ई–वोटिंग बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी।

ग. एजीएम में दूरस्थ ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 22 सितंबर, 2023 है,

घ. कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2023 को शेयर रखता है, वह मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से डी–153/ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020, दूरभाषः 011–26812682, 26812683, ईमेलः admin@skylinerta.com और सीसी compliances@skylinerta.com पर संपर्क करके यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।,

ङ. दूरस्थ ई–वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते **एपेक्स कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड**
एसडी/–
(फूल झा)
कंपनी सचिव
आईसीएसआई एम. ACS 20850

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05.09.2023

B L KASHYAP

बी.एल. कश्यप एण्ड सन्स लिमिटेड

(CIN: L74899DL1989PLCO36148)
पंजीकृत कार्यालय : 409, चौथी मंजिल, डीएलएफ टॉवर-ए, जसोला, नई दिल्ली-110025
दूरभाष : 011-40500300, 011-43058345, फैक्स : 011-40500333
ई-मेल : info©blkashyap.com; **वेबसाइट** : www.blkashyap.com

34वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष व्यवसाय के निष्पादन के लिए 'कंपनी' की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी गई है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण मंगलवार, 05 सितंबर, 2023 को पूरा हो गया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट www.blkashyap.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2023 तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

क) एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

ख) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।

ग) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख शनिवार, 23 सितंबर, 2023 है।

घ) 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे के बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ङ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

च) केवल वे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

छ) कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद शेयर हासिल करता है और कंपनी का शेयरधारक बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2023 को शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

ज) 34वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक रविवार, 24 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया सदस्यों को भेजे गए एजीएम के नोटिस में उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for members तथा e-voting user manual for members का संदर्भ ले सकते हैं या वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं या टेलीफोन नंबरः 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग का परिणाम 2 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कृते बी.एल. कश्यप एण्ड सन्स लिमिटेड
ह./–
पुष्पक कुमार
वीपी एवं कम्पनी सचिव

दिनांक : 5 सितम्बर, 2023
स्थान : नई दिल्ली

WE BUILD YOUR WORLD

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
(formerly Fullerton India Credit Company Limited)

निगमित कार्यालय : 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई–400051

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना(एं) निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता सकारण मानते हैं कि उधारकर्ता(गण) जो हैं वे मांग सूचना(नों) की प्राप्ति कर भुगतान करने के दायित्वों से बच रहे हैं, अतः उन तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना को नियमावली के अनुसार उनके ध्यानार्थ स्थान–स्थान पर चिपकाया जा रहा है और इसका प्रकाशन किया जा रहा है। मांग सूचना(ओं) की विषयवस्तु के निष्कर्ष यहां इसमें नीचे दिए गए हैं :

उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि
फैशन एयर फैब्रिक्स, खुदा बख्श खान, आलिया खान खाता सं.: 173020910700602 एवं 173020910737612	20–07–2023 रु. 22,01,417/– दिनांक 21.07.2023 के अनुसार
बंधककृत अचल संपत्ति/संपत्तियों का विवरण	
संपत्ति सं. 78 के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्र माप 71 वर्ग मीटर है जो ब्लॉक बी–3, यमुना विहार दिल्ली 110053 में स्थित है।	

उधारकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और वहां उन सूचनाओं में तथा यहां इसमें उपरोक्त तालिका में अंकित मांग राशि का, भुगतान की वसूली होने की तिथि तक गणनाकृत लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्कों, लागत और व्ययों के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर भुगतान करें। उधारकर्ता(गण) यह ध्यान में रखें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह एक प्रतिभूत ऋणदाता है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा जो है वह उधारकर्ता(ओं) द्वारा बंधक रखी गईं प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के रूप में अचल संपत्ति/संपत्तियों के समक्ष एक प्रतिभूत ऋण है। इस प्रकरण में उधारकर्ता(गण) जो हैं वे चूंकि अनुबंधित समय के अंदर पूर्णरूपेण ढंग से अपने भुगतान दायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का अधिग्रहण करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उपलब्ध समस्त अधिकारों का प्रयोग करने की अधिकारी होगी, जिसमें विक्रय के माध्यम से परिसंपत्तियों का हस्तांतरण अथवा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार का उपयोग करना तथा भुगतान वसूल करना सम्मिलित होगा परंतु यह इतने तक ही सीमित भी नहीं होगा। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह विक्रय अथवा हस्तांतरण करने के लिए अधिकार का प्रवर्तन करने से पूर्व प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) की कुर्की तथा/अथवा सील करने के लिए भी सशक्त है। प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विक्रय के उपरांत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के पास यह अधिकार भी है कि वह उस स्थिति में, शेष देयराशियों को वसूल करने के लिए पृथक विधिक कार्यवाहियां आरंभ कर सकती है, यदि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को भुगतानयोग्य देयराशियों का भुगतान पूर्ण करने के लिए बंधक संपत्तियों का मुद्रामूल्य अपर्याप्त होता है। यह उपाय एक अतिरिक्त उपाय है और किसी अन्य विधि–व्यवस्था के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को उपलब्ध समस्त अन्य उपायों से अलग है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आमंत्रित किया जाता है तथा उस इसके अतिरिक्त उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी आमंत्रित किया जाता है, जिसके द्वारा उधारकर्ता(ओं) को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का निस्तारण करने अथवा उनका लेन–देन करने अथवा किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को बिक्री, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषेधित किया जाता है और उपरोक्त का गैर–अनुपालन जो है वह उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं), यदि वे इच्छुक हैं, तो प्रतियां किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 06–09–2023 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,**
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कं. लि.)

IM+ CAPITALS LIMITED

आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड

सीआईएनः L74140DL1991PLC340407
पंजीकृत कार्यालयः 72, भूतल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली– 110001

आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा **सूचना** दी जाती है कि आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड की **32वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम")** किसी सार्वजनिक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को लेन–देन करने के लिए **शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को अपराह्न 03:00 बजे** (आईएसटी), आयोजित की जाएगी ।

कंपनी ने 32 वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सोमवार, 04 सितंबर, 2023 को उन सदस्यों को भेजी है जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') / डिपोजिटरी के साथ सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 के अनुसार पंजीकृत है। इस सम्बन्ध में जारी किये गये बाद के परिपत्रों के साथ, नवीनतम परिपत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2022 है, जो कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किया गया है और परिपत्र दिनांक 13 मई 2022 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी 2023 के साथ पढ़ें। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 32वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट–**www.imcapitals.com** और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड (**www.bseindia.com**) पर उपलब्ध है।

सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल तथा उपस्थित हो सकते है। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं । वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के गणना की उद्देश्य के लिए की जाएगी ।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि मंगलवार, 26 सितंबर 2023 (09:00 पूर्वाहन IST) से शुरू होगी और बृहस्पतिवार, 28 सितंबर 2023 (अपराहन 05:00 IST) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं । रिमोट ई–वोटिंग मापान्क को बृहस्पतिवार, 28 सितंबर 2023 अपराहन 5:00 बजे लिंक इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उसके बाद सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग मापान्क बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए लिंक इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के केवल एक तरीके का विकल्प चुन सकते हैं अर्थात या तो एजीएम से पहले या एजीएम के दौरान। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल/भाग ले सकते हैं लेकिन पुनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे ।

निदेशक मंडल ने सुश्री चेतना भोला, कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस, सदस्यता संख्या A41283 और C.P. सं. 15802, को रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

यदि शेयरधारक/सदस्य भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को धारण करते हैं या संस्थागत शेयरधारकों के पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और इंस्टावोट ई–वोटिंग मैनुअल का संदर्भ, हेल्प सेक्शन के अंतर्गत **https://instavote.linkintime.co.in** वेबसाइट पर ले सकते हैं या **enotices@linkintime.co.in** पर ईमेल भेज सकते है या **दूरभाषः 022 –4918 6000** पर संपर्क करे सकते है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड**
हस्ता०
विशाल सिंघल
पूर्ण कालिक निदेशक
डीआईएनः 03518795

तिथिः 05 सितम्बर 2023
स्थानः दिल्ली

यूनिवर्सेस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 19 के. एम. हापुड़ बुलन्दशहर रोड, पी. ओ. गुलौथी, जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.)
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 87, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
सीआईएनः L22222UP2011PLC103611
ईमेल आईडीः cs_uphoto@universusphotoimagings.com; वेबसाइटः www.universusphotoimagings.com
टेलीफोन नंबरः 91–0124–6925100

12वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, खाता बंदी एवं ई–वोटिंग सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **यूनिवर्सेस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड** की 12वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम 2013 ('**अधिनियम**') के लागू प्रावधानों और नियमों के अनुपालन में, 12वीं एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुरूप, **शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को दोपहर 03:30 बजे होटल नटराज, काला आम, दिल्ली रोड, सिविल लाइन्स, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203 001** पर आयोजित की जाएगी।

अधिनियम की धारा 101 और 136 के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुरूप, सेबी सूचीबद्धता विनियमनों के विनियम 36 और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुरूप, 12वीं एजीएम नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2022–23, उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ईमेल द्वारा भेज दी गई हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ 05 सितंबर, 2023 तक पंजीकृत हो गये हैं।

इसके अतिरिक्त, वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ 12वीं एजीएम के नोटिस, उन सभी सदस्यों को कूरियर के माध्यम से भी भेजे गए हैं जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ 05 सितंबर, 2023 तक पंजीकृत हो गये हैं।

सदस्यगण ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 के साथ 12वीं एजीएम के नोटिस कंपनी की वेबसाइट *https://www.universusphotoimagings.com/investors.html*, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.nseindia.com पर, और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ("केफिन टेक") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध होगी।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ("केफिनटेक") सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32 वित्तीय जिला, नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगाना–500032 को लिखकर भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में पंजीकरण करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के सह पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुसार, यथासंशोधित, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सचिवीय मानक–2 के अनुसार, कंपनी अपने शेयरधारकों को नोटिस में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर 12वीं एजीएम के आयोजन स्थल पर रिमोट ई–वोटिंग और वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसकी विस्तृत प्रक्रिया नोटिस के निर्देश भाग में प्रदान की गई है।

अंतिम तिथि अर्थात **शुक्रवार 22 सितंबर, 2023** तक भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारक सदस्य, नोटिस में निर्दिष्ट प्रस्ताव के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मोड से **रिमोट ई–वोटिंग या मतपत्र/मतदान पत्र** के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा **मंगलवार, 26 सितंबर 2023 (प्रातः 9:00 बजे) से गुरुवार, 28 सितंबर 2023 (सांयः 5:00 बजे)** तक जारी रहेगी, उक्त अवधि की समाप्ति के बाद केफिन द्वारा इसे तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल देगा, तो उसे बाद में अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट डालने के बाद भी 12वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे 12वीं एजीएम के दौरान दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

वे सदस्य, जो 12वीं एजीएम में उपस्थित हैं लेकिन उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे 12वीं एजीएम के दौरान मतपत्र/मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

इस नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज और उनके भौतिक तथ्यों और वैधानिक रजिस्टरों को निर्धारित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण कंपनी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे और सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे cs_uphoto@universusphotoimagings.com पर ईमेल भेजकर प्रासंगिक दस्तावेजों की मांग का अनुरोध कर सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति 12वीं एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद, लेकिन ई–वोटिंग के लिए अंतिम तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 से पहले कंपनी का सदस्य बन गया है। , ऐसे सदस्य नोटिस के निर्देश भाग में दिए गए तरीके से अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

इस नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज और उनके भौतिक तथ्यों और वैधानिक रजिस्टरों को निर्धारित करने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्य को कंपनी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और सदस्यों से अनुरोध है कि वे बेद्रनचीवजव/नदपअमतेनेचीवजवपउंहपदहे.बवउ पर एक ईमेल भेजकर अनुरोध करें। प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए.

12वीं एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या मतपत्र/मतदान पत्र के माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य https://e-voting .kfintech.com (KFintech website) या (केफिनटेक वेबसाइट) पर डाउनलोड किए गए अनुभाग में उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ लेने के लिए संपर्क करें या डी सुरेश बाबू, वरिष्ठ प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल हैदराबाद 500–032 से संपर्क कर सकते हैं या einward.ris@kfintech.com पर एक ईमेल भेजें या 1800 3094 001 पर कॉल करें।

कंपनी का आईएसआईएन INE03V001013 है। सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने शेयरों को डीमैटेरियलाइज करवा लें।

खाता बंदीः

आगामी वार्षिक आम बैठक के संबंध में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **शनिवार, 23 सितंबर 2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर 2023 (दोनों दिन शामिल)** तक बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
यूनिवर्सेस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड
हस्ता/–
सुरेश कुमार
कंपनी सचिव
एसीएसः 41503

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05 सितंबर 2023

केआरए लिजिंग लिमिटेड

CIN : L65993DL1990PLC039637; Ph. No: 0124-4746817;
E-mail : kraleasing1990@gmail.com; Website: www.kraleasing.com
पंजीकृत कार्यालय: सी-20, एसएमए को–आपरेटीव इन्डस्ट्रियल इस्टेट,
जी० टी० करनाल रोड, दिल्ली-110033
कारपोरेट कार्यालय: प्लॉट न० 3, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुड़गाँव-122050, हरियाणा

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लागू प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया ("सेबी") (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की चौतीसवीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित साधारण व्यवसाय निष्पादन कम्पनी की चौतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शनिवार, सितम्बर 30, 2023, को दोपहर बजे विडियो कान्फ्रैसिंग (वीसी)/अन्य आडियो विजुवल माध्यम (ओएवीएम) द्वारा बिना सदस्यों की भौतिक उपस्थिति एक सामान्य स्थल पर आयोजित की जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 91 के प्रावधानों के सम्बन्ध में कम्पनी के सदस्यों का पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें 24 सितम्बर, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस शामिल कर) एजीएम के उदेय हेतु बंद रहेंगी।

एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों जिनके ईमेल आईडीज कम्पनी के रिकार्ड में 5 सितम्बर, 2023 को उपलब्ध को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा भेज दी गई हैं।

सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.kraleasing.com साथ ही में मैट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेन्ज https://www.msei.in पर उपलब्ध से डाऊनलोड की जा सकती है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि -

क) चौतीसवीं एजीएम में उल्लिखित साधारण व्यवसाय निष्पादन पर इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग निष्पादनः

ख) रिमोट ई–वोटिंग बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को (09:00बजे प्रातः) आईएसटी पर प्रारम्भ होगी।

ग) रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को (05:00बजे सायं) आईएसटी पर प्रारम्भ होगी।

घ) **कृपया नोट करें कि उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

ण) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रसार के बाद कम्पनी का सदस्य बना हो और कट–ऑफ तिथि को शेयर धारण करता हो, यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा kraleasing1990@gmail.com पर आग्रह भेज सकता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल पर पहले से ही पंजीकृत है तो वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

सदस्य नोट करें:

i) उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉडयूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और सउस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के सदस्य को फिर से बदलने की अनुमति नहीं होगी।

ii) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा एजीएम से पहले अपना वोट दे दिया है, चौतीसवीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम की सुविधा द्वारा भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा फिर से वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

iii) एजीएम में भाग लेन वाले सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा एजीएम के दौरान वोट देने के हकदार होंगे।

iv) एक व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि i.e. 23 सितम्बर, 2023 को सदस्यों की पंजिका/लाभदाई स्वामी की पंजिका में अंकित होंगे, बैठक में रिमोट ई–वोटिंग के साथ वोटिंग की सुविधा के हकदार होंगे।

त) **उन शेयरधारकों जिनके ईमेल आईडीज डिपॉटरीज के पास पंजीकृत नहीं हैं, इस सूचना में निर्धारित प्रस्ताओं पर ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ईमेल पंजीकरण प्रक्रियाः**

i) भौतिक माध्यम में शेयर धारित फोलियो न०, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (आगे और पीछे), पैन (स्वअभिप्रमाणित पैन कार्ड की स्कैन कॉपी), आाधार (स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड की स्कैन कॉपी) को ईमेल द्वारा पर कृपया investors@skyllinerta.com प्रदान करें।

ii) डीमैट माध्यम में शेयर धारित डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंको वाला डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंको वाला लाभदाई आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता कथन, पैन (स्वअभिप्रमाणित पैन कार्ड की स्कैन कॉपी), आधार (स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड की स्कैन कॉपी) को investors@skyllinerta.com प्रदान करें।

g) ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट देने के लिए कृपया http://www.evotingindia.com पर जाएँ। डिमैटरीलाइज माध्यम, भौतिक माध्यम द्वारा शेयरधारित सदस्य और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोटली वोटिंग सिस्टम ("**रिमोट ई–वोटिंग**") द्वारा वोट देने का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है। जिसका विवरण कम्पनी की वेबसाइटwww.kraleasing.com और सीडीएसएल की वेबसाइट **http://www.evotingindia.com** पर साथ में उपलब्ध है।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम द्वारा वोटिंग की सुविधा साथ में एजीएम ("एजीएम ऐप लिंक") पर उपलब्ध कराई जायेगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं दिया है, वे एजीएम में जूम लिंक द्वारा वोट दे पायेंगे। **ई–वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए लॉगइन साख सदस्यों को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है अथवा जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदार के पास पंजीकृत नहीं हैं, लॉगइन साख जनरेट करने के लिए एजीएम की सूचना में निर्देश दिये गये हैं। उसी लॉगइन साख का उपयोग एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा भाग लेने के लिए किया जा सकता है।**

चूँकि कोई अंतिम लाभांष नहीं है, लाभांष के प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। सदस्य कम्पनी को, यदि आवश्यकता है, वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि के लिए आग्रह कर सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग को मिलाकर एजीएम में ई–वोटिंग से सम्बन्धित किसी प्रश्न अथवा शिकायत के लिए kraleasing1990@gmail.com पर नाम:- सुश्री प्राशी सक्सेना, पद:- कम्पनी सचिव को संम्बोधित कर सकते हैं।

कृते **केआरए लिजिंग लिमिटेड**
हस्ता०/–
प्राशी सक्सेना
सदस्यता संख्या: A66481

दिनांक : 05.09.2023
स्थान : गुरूग्राम

यूनिटेक लिमिटेड

unitech
CIN: L74899DL1971PLC009720
पंजी. कार्यालयः 6, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली– 110 017
कॉर्पोरेट कार्यालयः 13वां तल, सिग्नेचर टावर्स, टॉवर–बी,
साउथ सिटी–1, गुरुग्राम–122007
टेली/फैक्सः 011.26857338
ई–मेलः share.dept@unitechgroup.com | वेबसाइटः www.unitechgroup.com

52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस दिनांक 29 अगस्त, 2023 में वित्तीय वर्ष 2022–23 से संबंधित यथा निर्धारित बिजनेस के संचालन के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और इसके अधीन बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण उत्तरदायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के सभी लागू प्रावधानों, कार्पोरेट मामले मंत्रालय ('एमसीए') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित, के अनुपालन में **शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023** को **प्रातः 11.00 बजे** (भारतीय मानक समय) वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए सूचना और अनुदेशों का उल्लेख वार्षिक आम बैठक के नोटिस की टिप्पणियों में किया गया है। अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी।
2. कार्पोरेट मामले मंत्रालय और सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, वार्षिक आम बैठक का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किये जाने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेज ई–मेल के जरिए कम्पनी के उन सभी सदस्यों को प्रेषित कर दिए गए हैं जिनके ई–मेल पते **25 अगस्त, 2023** को कंपनी अथवा डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.unitechgroup.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं, और वहां से इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। वार्षिक आम बैठक का नोटिस नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
3. अधिनियम की धारा 108, इसके अधीन बनाए गए संगत नियमों और सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के साथ पठित, में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को 52वीं वार्षिक आम बैठक में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और बिजनेस का संचालन एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं के जरिए संचालित किया जा सकता है। ई–वोटिंग की सुविधा वार्षिक आम बैठक में भी उपलब्ध कराई जाएगी। वार्षिक आम बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग पहले नहीं किया है, वार्षिक आम बैठक में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा के साथ–साथ वार्षिक आम बैठक की तिथि को ई–वोटिंग प्रणाली एनएसडीएल द्वारा www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।
4. रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में ई–वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि **22 सितंबर, 2023** है। कोई व्यक्ति, केवल जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपाजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा, वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में सहभागिता और/अथवा एजीएम में ई–वोटिंग करने का हकदार होगा।
5. रिमोट ई–वोटिंग अवधि **मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) आरंभ होगी और बृहस्पतिवार, 28 सितंबर, 2023 को अपराह्न 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी।** उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. भौतिक पद्धति अथवा डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारण करने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग तथा उन सदस्यों के लिए, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं, तरीके वार्षिक आम बैठक के नोटिस में उपलब्ध कराए गए है।
7. कोई व्यक्ति, जो वार्षिक आम बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर धारण कर लेता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात **22 सितंबर, 2023** को शेयर धारण कर लेता है, वह एजीएम के नोटिस में यथा वर्णित रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में ई–वोटिंग हेतु समान अनुदेशों का पालन कर सकता है, यद्यपि, यदि सदस्य पहले ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में ई–वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मौजूदा लॉगिन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। लॉगिन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक के नोटिस में भी उपलब्ध कराई गई है।
8. सदस्य, जो कि वार्षिक आम बैठक से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग से पहले ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे पुनः एजीएम में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
9. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य के लिए, अधिनियम की धारा 91 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 42 के अनुसरण में, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स **शनिवार 23 सितंबर, 2023 से शुक्रवार 29 सितंबर, 2023 तक** (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।
10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ई–मेल पता, दूरभाष/मोबाइल नंबरों, स्थाई खाता संख्या ("पैन") अधिदेशों, नामांकन, पावर ऑफ अटार्नी, बैंक विवरण जैसे कि बैंक के नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तनों, यदि कोई है, के बारे में सूचित कर दें।
    - (क) **भौतिक स्वरूप में धारित शेयरों के लिए:** कंपनी के आरटीए को – कंपनी की वेबसाइट www.unitechgroup.com पर उपलब्ध सेबी मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सर्कु/पी/2023/120 दिनांक 11 जुलाई, 2023 के अनुसरण में निर्धारित फार्म आईएसआर–1 और अन्य संगत फार्मों में सूचित करें.
    - (ख) **इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में धारित शेयरों के लिए:** केवल अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट को और कंपनी के आरटीए को नहीं.
11. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों से मतदान से जुड़ी किसी भी शिकायत अथवा किसी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा **022-48867000 और 022-24997000** पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

कृते **यूनिटेक लिमिटेड**
हस्ता/-
(अनुराधा मिश्रा)
कंपनी सचिव

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 06.09.2023

कॉंटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ए-2, उद्योग भवन के सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राजस्थान)
CIN: L23201RJ1986PLC003704, फोन : 0141-2222232
ई: मेलः cs.conpetco@gmail.com, conpetco@gmail.com, वेबसाईटः www.contol.in

37 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग की सूचना

सूचना दी जाती है कि कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 37 वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को 03.00 बजे IST वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में (सेबी (एलओडीआर) विनियम), सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पढ़ें, इसके बाद सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, और बाद में जारी किए गए परिपत्र इस संबंध में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और उसके बाद इस संबंध में जारी परिपत्र, नवीनतम परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किया गया है ("सेबी परिपत्र"), एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार सामान्य व्यवसाय करने के लिए, सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा यानी ए-2, विपक्ष उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर RJ 302005 IN। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने और ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण ("वार्षिक रिपोर्ट") शामिल हैं उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण मंगलवार, 05 सितंबर, 2023 को पूरा हो गया है । नोटिस की प्रति एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.contol.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में लेन-देन किए जाने वाले व्यवसाय की वस्तुओं से संबंधित दस्तावेज सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे, जैसा कि एजीएम के नोटिस के नोट्स अनुभाग में बताया गया है। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है ।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के निर्देश:

1. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 44, कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 भारत सरकार, कंपनी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम के दौरान) के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित सामान्य व्यवसाय पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है (एजीएम के दौरान) । गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को कट-ऑफ तिथि होने पर भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य www.evotingindia.com पर सीडीएसएल के रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालेंगे।
2. सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
   - a) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 25 सितंबर , 2023 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी IST और बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे IST पर समाप्त होगा ।
   - b) कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना भेजने और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या www.evotingindia.com पर अनुरोध भेज रहा हूं। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो सदस्य अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है और अपना वोट डाल सकता है ।
3. सदस्य यह नोट कर सकते हैं कि:
   - a) उपर्युक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा ।एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
   - b) जो सदस्य एजीएम से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे;
   - c) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे;
   - d) एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट-ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा ।एजीएम के दौरान ओएवीएम सुविधा और ई-वोटिंग; और
   - e) चूंकि, एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए एमसीए परिपत्र के अनुसार प्रॉक्सी नियुक्तकरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।तदनुसार, सदस्य द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति लागू नहीं होगी ।
4. वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.contol.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है ।
5. रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है ।ई-वोटिंग प्रणाली से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, आप ई-वोटिंग वेबसाइट के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं । www.evotingindia.com पर जिन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में प्रश्न/शिकायतें हैं या जिन्हें एजीएम से पहले या उसके दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग से सहायता की आवश्यकता है, वे कर सकते हैं
   - a) निर्दिष्ट ई-मेल पते पर अनुरोध भेजें: helpdesk.evoting@cdslindia.com या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें ।1800 22 55 33 ;
   - b) श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल,) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 से संपर्क करें; और
6. रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, निदेशक मंडल ने श्री रोहित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार दूरस्थ दोनों के लिए जांचकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है ।

इस संबंध में सभी संचार/प्रश्नों को बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट को beetal@beetalfinancial.com पर ई-मेल के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देशों और एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें ।

वास्ते- कॉंटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड
मदनलाल खण्डेलवाल
(अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) DIN: 00414717

स्थान: जयपुर
दिनांक : 05.09.2023

सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN - L17111UP1988PLC009594
पंजीकृत कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद–201206 (यू.पी.)
ई–मेलः sybly@rediffmail.com, info@sybly.com, **वेबसाइटः** www.sybly.com
संपर्क सूत्रः– 01232 - 261521

वार्षिक साधारण सभा की सूचनाः

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की **35वीं वार्षिक साधारण सभा शनिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को पूर्वान्ह 11:30 बजे पंजीकृत कार्यालय पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद–201206 (यू.पी.)** पर, वार्षिक एजीएम के नोटिस दिनांक 14 अगस्त 2023 में वर्णित सामान्य व विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए होगी। एजीएम की बैठक की सूचना व्याख्यात्मक विवरण सहित एवं 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट समेत पृथक रूप से इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनके ईमेल एड्रेस कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। अन्य सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उन्हें एजीएम नोटिस की प्रति भौतिक रूप से स्वीकृत माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट (www.sybly.com) और सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई–वोटिंगः

रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज लि० ('सीडीएसएल') के साथ व्यवस्था की है।

इस संबंध में सदस्य कृपया ध्यान दें:

(i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, जिसे कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पठित एवं सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन 2015 के नियम 44 के अनुपालन में वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से संपन्न कराया जा सकता है। कंपनी को अपने सभी शेयर धारकों को ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता है।

(ii) रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम स्थल पर वोटिंग हेतु शेयर होल्डरों के निर्धारण हेतु कट–आफ तिथि शनिवार, 23 सितम्बर 2023 है। जिन सदस्यों के पास कट–आफ तिथि को कागजी अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं, वे सीडीएसएल के इलैक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम, जो https://www.evotingindia.com है, पर एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी इलैक्ट्रानिक माध्यम से अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं।

(iii) रिमोट ई–वोटिंग 27 सितम्बर 2023 (बुधवार) को 10:00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 29 सितम्बर 2023 (शुक्रवार) को 5.00 बजे सायं पर समाप्त हो जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा 29 सितम्बर 2023 (शुक्रवार) को 5.00 बजे सायं पर बंद कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि व समय के उपरांत वोटिंग की छूट नहीं होगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपनी वोट डाल देने के बाद सदस्य को उसमें बदलाव का अधिकार नहीं होगा।

(iv) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बनता है एवं कट–आफ तिथि 23 सितम्बर, 2023 (शनिवार) को शेयरधारक हो, वे ई–वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से या सीडीएसएल से निम्न संपर्क से हासिल कर सकते हैः दूरभाष संख्याः 022-23058738 व 022-23058542-43, ई–मेल आई डीः helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com

(v) मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(vi) कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का रिमोट ई–वोटिंग द्वारा इस्तेमाल करने के उपरांत भी एजीएम में शामिल हो सकता है। लेकिन उसे एजीएम में अपना वोट पुनः डालने की छूट नहीं होगी।

(vii) केवल वही सदस्य एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ लेने के अधिकारी होंगे जिनके नाम कट–आफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा रखे जाने वाले बेनिफिसियल आनर्स के रजिस्टर में दर्ज होंगे।

कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के नोटिस को http://www.sybly.com/wp-content/uploads/2023/09/Notice_35TH-AGM_SYBLY.pdf से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

किसी भी जानकारी के लिए सदस्य एफएक्यू (FAQ) और सदस्यों के ई–वोटिंग यूजर मैनुअल को देख सकते हैं। जो www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध है। रिमोर्ट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री आनन्द तिरोडकर, श्री देबोश्री चौधरी, सीडीएसएल, ट्रेड वर्ल्ड, फिरोज जीजीबाई टॉवर्स, 17वां तल दलाल स्ट्रीट, मुंबई–400001 से अधिकृत ई–मेल आईडीजः helpdesk.evoting@cdslindia.com या दूरभाष संख्याः (022) 23058615, (022) 23058634 फैक्सः (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में और हरित पहल के एक भाग के रूप में, कंपनी सदस्यों को नोटिस/दस्तावेजों/वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक रूप में सर्विसिंग को सक्षम करने के लिए अपना ई–मेल पता उपलब्ध कराने/अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए अनुरोध कंपनी या आरटीए को भेजा जाना चाहिए और डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट को भेजा जाना चाहिए।

वार्षिक साधारण सभा उपरोक्त सभा स्थल पर कोविड–19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी/एडवाईजरी/नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल मसलन फेस मास्क, हैंड सेनेटाईजेशन आदि का कड़ाई से पालन करते हुए होगी।

वास्ते–सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ह0/– (सागर अग्रवाल)
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स.सं.: ए57936

तिथिः 05 सितम्बर, 2023
स्थानः मुरादनगर